अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

प्रेमदेवी बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 86 मु0नं0 238 / 2021

पीठासीन अधिकारी यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2024	पत्रावली निर्णय हेतू पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 11.08.2005 जो ग्राम पंचायत फर्राशपुरा तह0 सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा द्वारा स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध पेश की गई है। भूमि खसरा नम्बर 207 रकबा 0.100 है0 208 रकबा 0.0500 है0 209 रकबा 0.0600 है0 212 रकबा 0.1100 है0 खसरा नम्बर 213 रकबा 0.3500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.6700 है0 भूमि जो ग्राम गेरोजी तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदार अपीलाण्ट 1 लगायत 3 के मृत पति एवं पिता प्रभू पुत्र काना जाति चमार सा.देह के नाम रही है। प्रभू पुत्र काना की मृत्यू के पश्चात उपरोक्त आराजी का विरासतन नामान्तकरण अपीलाण्ट संख्या 1 एवं अपीलाण्ट संख्या 2 विजय कुमार बैरवा के स्थान पर अशुद्ध नाम विजय सिंह एवं अपीलाण्ट संख्या 3 के शुद्ध नाम गोलु कुमार बैरवा के स्थान पर भीम सिंह दर्ज कर हल्का पटवारी द्वारा ग्राम पंचायत फर्राशपुरा से स्वीकृत करवा दिया। उक्त अशुद्धियों की जानकारी अपीलाण्ट को नही हुई थी। इसलिए अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर अपीलाण्ट के अशुद्ध नाम से स्वीकृत नामान्तकरण को पुनः रिमाण्ड कर शुद्ध प्रविष्टिया के साथ पुनः नामान्तकरण अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बहरावण्डा को आदेशित किया जावे। इत्यादि पर अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता के निवेदन पर बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा पत्रावली में नामान्तकरण में नाम गलत दर्ज हो जाने से पुनः सही नाम से नामान्तकरण दर्ज करने बाबत अनुतोष चाहा गया है। इसलिए अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलाण्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 11.08.2005 स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 11.08.2005 को निरस्त कर तहसीलदार बहरावण्डा को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के नाम की जांच कर सही प्रविष्टियों के साथ पुनः नामान्तकरण दर्ज करें। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	